2280/वनभूमि
31/10/015

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, पुरोला ने अपने पत्र संख्या 1464/वनभूमि दिनांक 21.08.2015 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद उत्तरकाशी के तहसील मोरी में किराणू धुनियारा, थौरिण्डाधार मोटर मार्ग 4.450 किमी0 के निर्माण हेतु 3.533 है0 वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.066 है0 सिविल सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

शासनादेश संख्या 397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012 के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा बर्ष 2009 के बाद सैद्धान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमीदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये किये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार मोरी द्वारा अपने पत्र संख्या मेमो/र0का0/क्षति0 वृक्षा0/2015 दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 जो उप जिलाधिकारी पुरोला के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया के द्वारा अवगत कराया गया है, कि किराणू धुनियारा थौरिण्डाधार मोटर मार्ग में अर्जित भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग-9(3)ड. भूमि की भूमि ग्राम किराणू में खसरा नम्बर 4460 रक्वा 10.151 है0 भूमि का चयन किया गया तथा चयनित भूमि का नक्शा, खसरा एवं खतौनी इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है ।

अत: तहसीलदार मोरी द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार ग्राम किराणू तहसील मोरी में खाता संख्या 51 में खसरा संख्या 4460 म0 रक्वा 7.066 है0 भूमि नॉन ज्येड.ए. उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9(3) ड. की भूमि उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 421/X-4-15/1(224)/2015 दिनांक 01 जुलाई, 2015 में शर्त संख्या-1 के अनुसार उक्त भूमि को हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 4546 /आठ-05 (2014-15) दिनांक 21 अक्टूबर, 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- उप जिलाधिकारी, पुरोला ।

2- तहसीलदार, मोरी ।

3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पुरोला ।

4- प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला ।

21/10/15

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

म० फसल 3 [illegible] ग्राम [illegible] 1418 से 1423 फ० तक से :—

मूलेख प्रपत्र सं० प-11

वर्ग 5(3)ड. बंजर भूमि की खाते के यहां की भूमि :—

51:— उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 5(3)ड. बंजर भूमि	1	0.083	मुताबिक आदेश जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्र सं० 446/अ0-05 (2014-2015) दि० 26 अक्टूबर 2015 के आधार [illegible] की नाप [illegible] खलोनी खाता सं० 51 के खसरा नम्बर 4460 रकबा 7.066 है० [illegible] खलोनी उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 5(3)ड. की भूमि उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 के शासनादेश सं० 421/14-3/1 (224)/2015 दि० 7 जुलाई 2015 में शर्त सं० 1 के अनुसार उक्त भूमि को [illegible] नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है दर्ज किया। [illegible] रजि० कानूनगो 30/10/2015
	3	0.081	
	5	0.056	
	8	0.048	
	16	0.010	
	× ×	× ×	
	4451	0.008	
	4460	10.151 ✓	
	4471	0.065	
	× ×	× ×	
	4493	0.003	
	4496	11.073	
	4498	0.021	
	× ×	× ×	
	876	0.005	
	3720 म	1.035	
	3818	2.146	
	5284	0.003	
सम्पूर्ण खाते की योग :—	928	420.885 है०	

सत्यप्रतिलिपि [illegible] 29/10/2015

पटवारी [illegible]

तहसील [illegible]

जिला-उत्तरकाशी

२०५५

५५६०

संकेत नं :

प्रमाणित सही उमेश राय सारकार्की

पेश गर्ने सही

नाम